ईमेल/अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(8)खा.वि./आवंटन/2020 जयपुर, दिनांकः 01-4-2020

समस्त,
जिला रसद अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः— माह अप्रेल—जून, 2020 में किये जाने वाले गेहूं के उठाव के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कोविड—19(कोरोना वायरस) के प्रकोप के कारण खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटित गेहूं की सामान्य मात्रा के अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत देय निःशुल्क गेहूं की अप्रेल—जून, 2020 माह की अतिरिक्त मात्रा का उठाव भी संबंधित थोक विक्रेता (निगम अथवा केवीएसएस) द्वारा किया जाना है। इस प्रकार माह अप्रेल में सामान्यतया किये जाने वाले उठाव से लगभग तीन गुना मात्रा एवं माह मई में दोगुना मात्रा के गेहूं का उठाव कर संबंधित राशन डीलरों को आपूर्ति की जानी है। इस हेतु कतिपय निम्नांकित बिन्दुओं संबंधी आवश्यक दिशा—निर्देश निम्न प्रकार है :—

1— गेहूं का उठाव एवं आपूर्ति आवश्यक होने तथा सामान्य से तीन गुना होने के कारण प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति को जिले में यथा संभव अन्य कार्य आवंटित नहीं किया जावें, ताकि वे अपना समस्त ध्यान खाद्यान्न के उठाव में लगा सकें।

2— खाद्यान्न की मात्रा अधिक होने से राशन डीलर्स के यहां भण्डारण की समस्या उत्पन्न हो सकती है, अतः समस्या के निराकरण हेतु आपूर्तित खाद्यान्न का तत्परता से वितरण किये जाने अन्य उपाय किया जाना सुनिश्चित करावें।

(अशोक कुमार सांखला)
उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को उक्त अवधि में अवकाश के दिवसों में गोदाम खोलने एवं पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों की व्यवस्था रखने हेतु प्रेषित है :—

1. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम,रीजनल ऑफिस,जयपुर।
2. क्षेत्रीय प्रबंधक, केन्द्रीय भण्डारण निगम, जयपुर।
3. महाप्रबन्धक, राजस्थान राज्य भण्डारण व्यवस्था निगम,जयपुर।
4. सहायक लेखाधिकारी, विभागीय बजट शाखा को प्रेषित कर कर निर्देशित किया जाता है कि हैण्डलिंग चार्जेज एवं परिवहन मद में पर्याप्त अतिरिक्त बजट का जिलों को आवंटन करावें, ताकि खाद्यान्न की आपूर्ति निर्बाध रूप से सम्पन्न की जा सकें।

उपायुक्त एवं उपशासन सचिव